राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. रेक्टिफिकेशन सं. 52/2015/जोधपुर
2. रेक्टिफिकेशन सं. 53/2015/जोधपुर
3. रेक्टिफिकेशन सं. 54/2015/जोधपुर
4. रेक्टिफिकेशन सं. 55/2015/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स तोषनीवाल ईम्पैक्स प्रा.लि., जोधपुर .....अप्रार्थी

5. रेक्टिफिकेशन सं. 56/2015/जोधपुर
6. रेक्टिफिकेशन सं. 57/2015/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर। .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स यूनिवर्सल ईम्पैक्स प्रा.लि., जोधपुर .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक। .....राजस्व की ओर से
श्री एन.एम.मेडतिया, अभिभाषक। .....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.01.2017

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 6.8.2015 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रपत्र वेट 57 में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

रेक्टी. प्रार्थना पत्र सं.	कर बोर्ड की अ.सं.	कर बो. का नि.दि.	वर्ष	अपीलीय अधिकारी की अपील सं. एवं आदेश दि.	कर निर्धा.अधि. का आ.दि.
1	2	3	4	5	6
52/15	1666/12	06.08.15	2005–06	39/30.03.12	29.03.10
53/15	1667/12	06.08.15	2006–07	40/30.03.12	29.03.10
54/15	1668/12	06.08.15	2007–08	41/30.03.12	29.03.10
55/15	1669/12	06.08.15	2008–09	42/30.03.12	29.03.10
56/15	1670/12	06.08.15	2004–05	43/30.03.12	29.03.10
57/15	1671/12	06.08.15	2005–06	44/30.03.12	29.03.10

2. राजस्व द्वारा प्रस्तुत किये गये परिशोधन प्रार्थना पत्रों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2015 में अपील संख्या 1666 से 1671/2012 में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया था कि अपीलीय आदेश दिनांक 30.03.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 पारित किये जा चुके है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें निष्प्रभावी होने के कारण सारहीन हो चुकी है। अप्रार्थी अधिवक्ता के उक्त तथ्यों को स्वीकारते हुए कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा राजस्व की अपीलों को सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया था। उक्त आदेश में त्रुटि को संशोधित किये जाने के लिये विभाग द्वारा ये परिशोधन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रपत्र वेट 57 के साथ कर बोर्ड में प्रस्तुत किये गये है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी मैसर्स तोषनीवाल इम्पैक्स, जोधपुर के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 तथा मैसर्स यूनिवर्सल इम्पैक्स, जोधपुर के प्रतिप्रेषित कर निर्धारण वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में किसी प्रकार का कोई आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 11.04.2014 को पारित नहीं किया गया है एवं भूलवश व्यवहारी अधिवक्ता द्वारा वक्त बहस तथ्य अंकित कराये गये है, जिसके आधार पर कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा अन्य वादों के साथ–साथ इन दोनों व्यवहारियों के उक्त वर्षों की अपीलों को निष्प्रभावी मानते हुए खारिज किया है। अतः उक्त अपीलों को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुणों पर किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस के दौरान व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उप राजकीय अभिभाषक के कथनों का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने का निवेदन किया एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2015 में इस हद तक संशोधन करते हुए प्रकरणों को रिकॉल करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. राजस्व द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों का अवलोकन करने एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2015 का अध्ययन करने तथा तत्सयमय व्यवहारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.04.2014 का अवलोकन करने पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स युनिवर्सल इम्पैक्स, जोधपुर के वित्तीय वर्ष 2007–08 में अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पालना में निर्धारण आदेश पारित किया है, ना कि अन्य वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में।

परिणामस्वरूप विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के तर्कों को उचित मानते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त परिशोधन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण से संबंधित छः अपीलों को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपीलों को रिकॉल किया जाता है। मूल अपील संख्या 1666 से 1671/2012/जोधपुर सुनवाई हेतु शीघ्र खण्डपीठ के समक्ष दिनांक 23.02.2017 नियत की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

24.1.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष